न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 27 / 2017

1–प्रकाश पुत्र गणपत
2–विक्रम । – पुत्रगण अर्जुन सिंह
3– अजीत।

जाति जाट निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 1419 दिनांक 8.2.2017 बाके ग्रांम जघीना न02 तहसील भरतपुर

———————

निर्णय दिनांक 13.11.2017

अपीलान्ट ने यह अपील व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 1419 दिनांक 8.2. 2017 ग्रांम जघीना न.2 तहसील भरतपुर दिनांक 8.2.2017 तहसीलदार भरतपुर पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी की गई। रेस्पो. की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया गया। नामान्तकरण संख्या 1419 दिनांक 8.2.17 नियम विरुद्व स्वीकार किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 3042,3043,3044 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। ऐसी भूमियों पर धारा 16 आटीए के तहत न्यायालय को नामान्तकरण स्वीकार कर करने का अधिकार नहीं है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता है। अपीलान्ट आराजी का उपयोग रास्ते के रुप में कर रहे हैं। तहत न्यायालय ने अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 22.8.2017 को जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर हुई। नकल वगे. लेकर अपील बिना देनी के पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। उन्होने राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय की दिनांक 18.6.2017 की ओर हमारा ध्यान

Web Copy - Not Official

आकर्षित करते हुये जाहिर कि जिला कलक्टर भरतपुर का आबंटन आदेश 14.6.2016 जिसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है को खारिज कर दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

रेस्पो. की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्को में जाहिर किया कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता है। विचाराधीन अपील नामान्तकरण संख्या 1419 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलान्ट का विवादित भूमि से कोई लेना देना नहीं है। योग्य राजकीय अभिभाषक ने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, इन्हें अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अपील भी म्याद बाहर पेश की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में असत्य कथन किया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया । उभय पक्षक अभिभाषक के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1419 दिनांक 8.2.2017 का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस ने नामान्तकरण संख्या 1419 दिनांक 8.2.2017 के खिलाफ अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 28.8.2017 को लगभग 6 माह बाद पेश की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में जानकारी नकल जमाबन्दी लेने से दिनांक 22.8.2017 को होना अंकित किया है परन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया जिससे उसके कथनों पुष्टी होती हो। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 काबिल खारिज के रहता है।

अपील की मद नम्बर 2 में अपीलान्टस विवादित भूमि को अपनी बताते हैं परन्तु अपीलान्टस ने जुबानी कथनों सिवाय के ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे इस कथन की पुष्टी होती हो। यहॉ यह विचारणीय प्रश्न है कि एक ओर अपीलान्टस विवादित आराजी को अपना बताते हैं दूसरी ओर अपील की मद नम्बर 5 में विवादित आराजी को गैर मुमकिन रास्ता होना स्वीकार करते हैं। दोनों कथन विरोधाभाषी हैं। अपीलान्ट तहत न्यायालय में आवश्यक पक्षकार नहीं थे। विचाराधीन अपील में अपीलान्टस का कोई Locus standi नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्टस खारिज योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

{ डॉ.एन.के.गुप्ता }
जिला कलक्टर,
भरतपुर

eCopy - Not Official